न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र टीआई संख्या/2022/51

1. गंगाराम पुत्र छोटूराम, जाति–बैरवा, निवासी–ढाणी गणपतपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामवेदी पत्नि श्री किशन लाल जाति–जाटव निवासी–37, श्रीराम कॉलोनी, सोडाला, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिलाज जयपुर।

–अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांकः 05.12.2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र टीआई इस आशय के साथ पेश किया गया कि वाकै ग्राम कलवाडा, पटवार हल्का कलवाडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2379 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2380 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2381 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2382 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2383 रकबा 0.7200 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.2700 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 अपने–अपने हिस्सेनुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत बंटवारा नही हुआ है। विगत कुछ वर्षो से जमीनो के बाजार भाव बढ गये हैं अप्रार्थी संख्या 1 ने अन्य भू–माफिया लोगो से मिलकर वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा कराये बिना वादग्रस्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है जिनका उससे कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 27.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 दो–तीन व्यक्तियों को वादग्रस्त भूमि पर लेकर आयी तथा विक्रय बाबत बातचीत करने लगी जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से कहा कि आप वादग्रस्त भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

पहले राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत बंटवारा करवा लो तो अप्रार्थी संख्या 1 ने बंटवारा कराने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि मुझे बंटवारा कराने की कोई आवश्यकता नही है मैं उक्त जमीन को बिना बंटवारा कराये ही विक्रय कर दूगी जिस पर वादी ने अप्रार्थी संख्या 1 को समझाने का काफी प्रयास किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 पर प्रार्थी की समझाईस का कोई असर नही हुआ और अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को ऐलानिया रूप से वादग्रस्त भूमि का बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किये बिना ही दीगरान् को बेचान करने की घोषणा कर दी इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व यह वाद बाबत् विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को किसी भी दीगर व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार से रहन, दान, बख्शीश, विक्रय इत्यादि नही करे ना ही विक्रय पत्र तस्दीक करावे तथा प्रार्थी को उसके मालिकाना हक एवं अधिकार तथा कब्जेशुदा सम्पत्ति से जबरन बेदखल नही करें तथा अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही करें ऐसा कृत्य ना तो अप्रार्थी स्वयं करे और ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट एवं परिवारजन से करावें।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन (रजिस्टर्ड एडी) तलब किया गया। व प्रार्थना पत्र टीआई पर [illegible] प्रार्थी की एपकक्षीय बहस सुनी जाकर उभयपक्ष को वादग्रस्त आराजीयात की मौका एवम् रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया। रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी होने के एक माह बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही होने पर तामील की प्रज्ज्मसन मानते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील एकपक्षीय सुनी गई। बहस टीआई सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद में निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सांगानेर से कुर्रेजात रिपोर्ट चाही गई है चूंकि मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है इसलिए वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढे।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र टीआई विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.04.2022 को कन्फर्म किया जाकर प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आरजीयात खाता संख्या नया 342 पुराना 332 के खसरा नंबर 2379 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2380 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2381 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2382 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2383 रकबा 0.7200 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.2700 हैक्टेयर वाकै ग्राम कलवाडा पटवार हल्का कलवाडा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौका एवम् राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner